

जवाहर नवोदय विद्यालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार
माना कैम्प-रायपुर (छ.ग.)
पिन कोड नं. 492015



JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA

(An Autonomous Organization under Ministry of
H.R.D., Deptt of School Education and Literacy)
Govt. of India
Mana-Camp Raipur (C.G.)
Pin Code No. 492015

Phone & Fax:- 0771-2418139

Email-jnvmanacampraipur@gmail.com, jnvmanacamp@rediffmail.com Website : www.jnvraipur.com

फा.क / 25 / कय / 2015-16 /

दिनांक

सी एस -12 क्रमांक-----

आवेदन प्रपत्र मूल्य - 100-00

घरोहर राशि -----

विषय - -----सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा पत्र सह नियमावली

- 01 इस विद्यालय के लिए -----सामग्री की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा पत्र नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैम्प जिला- रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 18.05.2015 को अपरान्ह 04.00 बजे तक पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक 19.05.2015 को अपरान्ह 04.00 बजे कय समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
- 02 पूर्ण रूप से मूल्य अंकित निविदा प्रपत्र जिसमें फर्म का टिन /पैन नं० अंकित हो एक अलग से लिफाफे में डालकर अच्छी तरह से सीलबंद कर लिफाफे के उपर बड़े-बड़े अक्षरों में -----खण्ड हेतु निविदा अंकित करें। इस मुहर बंद लिफाफा को कय समिति के समक्ष ही खोला जायेगा। अतः इस भरते समय निम्न विन्दुओं का विशेष ध्यान रखें।
- 03 दूसरे लिफाफे में समस्त दस्तावेज जैसे फर्म का पंजीयन, आयकर, वैट टेक्स, पेन क्रमांक आयकर चुकता विक्रय कर चुकता प्रमाण पत्र अमानत/जमानत राशि का बैंक डाफ्ट आदि डालकर कार्यालय में रखे गए सीलबंद निविदा बाक्स में जमा करें। इन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत ही निविदा मूल्य स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जायेगा।
- 04 निविदा प्रपत्र में दरें भरते समय इस बात का ध्यान रखे कि सामग्री का एफओआर विद्यालय भण्डार में करना होगा! विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाडा चाहे वह मजदुरी हो या परिवहन नहीं दिया जाएगा। निविदा मूल्य में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर जोड़कर ही दरें भरें। विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर/भाडा भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 05 निविदा प्रपत्र में दर स्पष्ट होना चाहिए। ओवर रायटिंग/कांट-छांट /अस्पष्ट दर अंकित होने पर उस सामग्री का दर अमान्य कर दिया जाएगा। जहां-जहां पर कांट-छांट हो वहां पर निविदा दाता का पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए अन्यथा उन सामग्रियों का दर अमान्य कर दिया जाएगा।

- 06 कय समिति को न्यूनतम मूल्य वाले निविदा दाता को स्वीकार करने या नही करने का पूर्ण अधिकार हैं। कय समिति किसी भी निविदा दाता के सभी सामग्रियों के दर को या उसके कुछ सामग्रियों के दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 07 जीएफआर के तहत निविदा दाता एवं केता (प्राचार्य) के बीच अनुबंध होगा। जिन्हे जी एफ आर के नियमों का पालन करना होगा। यह अनुबंध निविदा स्वीकृत होने के बाद 10/- के स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में होगा।
- 08 निविदा शर्तों का पालन न करने पर निविदा दाता के निविदा मूल्य को निरस्त किया जा सकता है।
- 09 निविदा दाता द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जो विज्ञापन में दर्शाई गई है प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैम्प रायपुर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा माना कैम्प कोड नं 13657 में देय हो दस्तावेज वाले लिफाफे में संलग्न कर जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक—दिनांक— एवं राशि— निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा।
- 10 निविदा दाता समय सीमा के भीतर आदेशित सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करता है तो विद्यालय उक्त सामग्री खुले बाजार से कय कर अंतर की राशि निविदा दाता से या उसके द्वारा जमा धरोहर राशि/जमानत राशि से समायोजित कर लेगा।
- 11 विद्यालय को निविदा पत्र में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा से कम या ज्यादा अपनी आवश्यकतानुसार कय करने का अधिकार है इसके लिए निविदा दाता को इसका कारण बताना आवश्यक नहीं है।
- 12 ब्रांडेड कं0 आदि को छोड़कर शेष सामग्रियों के नमूना खुलने की तिथि को लाना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नमूना का प्रदर्शन स्वयं या उनके प्रतिनिधि के द्वारा करना होगा। चयनित सामग्रियों के नमूना को कय समिति सुरक्षित रख लेगा। सामग्री अनुसार नमूना की सामग्रियों को कम से कम 100-200 ग्राम जमा करना होगा। नमूना के लिए जमा सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 13 निविदा की दरें 30.04.2016 तक के लिए मान्य होंगे। उक्त अवधि में शासकीय घोषणा के अनुसार करों में परिवर्तन होता है तो अतिरिक्त करों का भुगतान पर्याप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जिलाध्यक्ष /अध्यक्ष एवं विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के अनुमति से किया जा सकेगा। कम्पनी/एजेन्सी द्वारा सामग्री के साथ निःशुल्क उपहार या अतिरिक्त मात्रा दिया जाता है तो उसे विद्यालय को देना होगा अन्यथा देयक से उपहार सामग्री की राशि काटकर भुगतान किया जाएगा।
- 14 निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच जमा किए गए नमूना से मिलान कर किया जाएगा। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा और उसमें होने वाले व्यय की भरपाई संबंधित प्रदायक से की जाएगी।
- 15 उपस्कर टिकाउ लकड़ी/सागौन/बीजा का उपयोग करना होगा एवं जोड़ों पर 10 प्रतिशत से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए साथ ही उक्त उपस्करों में विक्रेता का नाम एवं निर्माण वर्ष का धातु का प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
- 16 यदि आपूर्ति की गई सामग्री में छः माह के अंदर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में खराबी पाये जाने पर खराब सामग्री का मूल्य निविदा दाता द्वारा जमा की गई अमानत/जमानत राशि से

काटकर समायोजित कर लिया जायेगा। नियमानुसार अमानत/जमानत राशि सामग्री प्रदाय करने के 6 माह बाद वापस किया जाएगा।

- 17 निविदा प्रपत्र जिसमें सामग्रियों के मुहर बंद लिफाफा दर अंकित हो व्यक्तिगत उपस्थित होकर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में जमा कर सकते हैं या पंजीकृत डाक द्वारा समय सीमा के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 18 एल -1 की सप्लाई नहीं किए जाने पर एल-2 एवं एल- 3 को अपनी -अपनी दरों पर सामग्री देने को बाध्य होंगे, अन्यथा अमानत/जमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
- 19 विद्यालय द्वारा सामग्री की सूचियों का चयन विद्यालयस्तरीय क्रय सलाहकार समिति की अनुशंसा एवं बाजार में उपलब्धता के आधार पर चयन किया गया है।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
माना कैम्प रायपुर (छ0ग0)

निविदा दाता का घोषणा पत्र

मैं, मेसर्स _____ आपके द्वारा उल्लेखित पैरा क्रमांक 02 से 19 तक निविदा की समस्त शर्तों को पढ़ लिया है स्वयं का / फर्म का मुद्रित लेटर पेड पर अपनी सहमति दो गवाहों के समक्ष देता हूँ/ मुझे मान्य है।

गवाह पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर

1

निविदा दाता का हस्ताक्षर

एवं पूरा पता तिथि सहित

2

क्रमांक	सामान का नाम	धरोहर राशि
01	खाद्य सामग्री(खाद्य सामग्री)	20000-00
02	हरी सब्जी	5000-00
03	फल	5000-00
04	ब्रेड बेकरी	2000-00
05	दैनिक उपयोगी सामान	5000-00
06	कपडा सिलाई	5000-00
07	कपडा धुलाई	500-00
08	बाल कटिंग	—
09	लेखन सामग्री छात्र/कार्यालय	5000-00
10	शाला गणवेश	5000-00
11	भवन मरम्मत/नल जल सामग्री	2000-00
12	खेलकुद सामग्री	5000-00
13	भवन रंग रोगनन	5000-00
14	कम्प्यूटर वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव	5000-00
16	फर्नीचर	2000-00
17	विजली सामान	2000-00
18	दवाईया	500-00